रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275050
CG-DL-E-01082026-275050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]	**नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28 2026/ श्रावण 6, 1948**
No. 614]	**NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2026/ SHRAVAN 6, 1948**

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई , 2026

सा.का.नि. 676(अ) .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ज्येष्ठ मशीन ऑपरेटर और कनिष्ठ मशीन ऑपरेटर) भर्ती नियम, 1979 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ मशीन ऑपरेटर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ङ' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ङ' भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या**,** वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका उनका स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति**,** आयु-सीमा**,** अर्हताएं, आदि**.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की.- शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ङ'	1*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400 रु)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
मिश्रित पद्धति: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नतिः केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, वैधानिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400रु) या समतुल्य पद में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की है, और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव रखते है, अर्थातः- अनिवार्यः- (क) कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक की उपाधि। (ख) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या वैधानिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रोग्रामिंग या सूचना प्रणाली के प्रासंगिक क्षेत्रों में दो वर्ष का अनुभव, जैसे कि आईसीटी दूरसंचार, एप्लीकेशन नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, विकास या प्रोग्रामिंग, डेटाबेस या सिस्टम प्रशासन। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में ग्रेड डी के विभागीय डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए, जिसमें 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार का चयन पद पर नियुक्ति के लिए हो जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 213/1/2024-AVD-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2026

G.S.R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Senior Machine Operator/Junior Machine Operator) Recruitment Rules 1979, in so far as it relates for the post of Senior Machine Operator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'E' in the Central Bureau of Investigation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation, Data Entry Operator, Grade 'E', Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and level in pay matrix.- The number of the said post, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Data Entry Operator Grade – E.	* 01 (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including Short Term Contract or Promotion

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method Deputation including Short Term Contract or Promotion: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public sector undertaking or autonomous body or Statutory body or in any recognised institution: (A) (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (b) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following Educational qualifications and experience:- Essential:- (a) Masters Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a Recognised University or Institute or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science; or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a Recognised University or Institute. (b) Two years experience in areas of Programming or Information System viz. ICT Network, cyber security, telecom, application development or programming, database or system administration in a Government office or Public sector undertaking or Autonomous Body or Statutory body or in any recognised institution. Note 1: The departmental Data Entry Operator Grade D in Level-6 of Pay Matrix with 5 years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The period of deputation (short term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on last date of receipt of applications.	Not Applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 213/1/2024-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.01 12:05:08 +05'30'